न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 36/2014 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2014/00053

उनवान

रघुवीर पुत्र हेम सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम क्वाइला तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 25.03.2014 प्र.संख्या 03/2014 उनवानी रघुवीर बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री रमेश चन्द झॉ अनुपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 14.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बाडी ने आराजी खसरा नंबर 2625 रकबा 02 बीघा सिवायचक भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2014 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. अपीलाण्ट की ओर से अभिभाषक श्री विज्जोलाल ने उपस्थित होकर ब्रीफ प्रस्तुत कर बताया कि अभिभाषक श्री रमेश चन्द झॉ उपस्थित होने में असमर्थ हैं अतः आगामी पेशी दिये जाने का निवेदन किया। हमने मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पुराना है, पूर्व में अभिभाषक अपीलाण्ट को कई अवसर दिये जा चुके हैं। पुनः समय की मॉग अनुचित व न्यायालय के समय को नष्ट करना है। अतः बहस राजकीय अभिभाषक एक पक्षीय सुनी गयी।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि सिवायचक भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था, जो दिनांक 30.10.2012 से बेदखल किया गया। इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अतः अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस राजकीय अभिभाषक के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा अपनी अपील में अंकित किया है कि वह विवादित आराजी से कब्जा छोडने का शपथ पत्र देने को तैयार है, जो विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने की मौन स्वीकृति को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। ऐसी स्थिति में कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर एक माह की सिविल जेल आदेश पारित किया एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील सम्यक रूप से खारिज की गई है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते हैं।

6. परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील के पैरा संख्या 04 में विवादित आराजी से अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अंकित किया है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है, अपीलाण्ट अपने अतिक्रमण को हटाना बताता है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी को निर्देशित करना चाहेंगें कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट पुनः भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दिनांक 20.07.2018 तक उनके समक्ष प्रस्तुत कर देवें, तो एक माह की सिविल जेल सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा का क्रियान्वयन करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official